एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

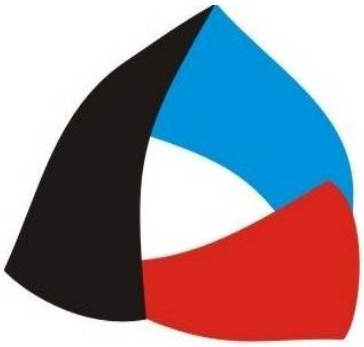

एमएनएच

10 वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2017-18

पंजीकृत कार्यालय: आनंद विहार, डाकघर: जागृति विहार

संबलपुर, ओड़िशा, 768020

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठा संख्या
1.	कंपनी की सूचना	**1-2**
2.	सूचना	**3-3**
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	**4-12**
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	**13-21**
5.	भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणियां	**22-22**
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	**23-26**
7.	वार्षिक रिटर्न का विवरण	**27-35**
8.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र	**36-37**
9.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि का विवरण	**38-39**
10.	लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	**41-66**
11.	तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखों के अंश स्वरूप विवरणी	**67-103**
12.	नगद प्रवाह विवरणी	**104-104**

कंपनी की जानकारी

निदेशक मण्डल

श्री ओ. पी. सिंह	: अध्यक्ष (30.09.2016 से प्रभावी)
श्री एस. अशरफ	: निदेशक (03.04.2013 से प्रभावी)
श्री बी.पी. मिश्रा	: निदेशक (15.05.2013 से प्रभावी)
श्री सुबीर दास	: निदेशक (27.10.2015 से प्रभावी)
श्री एल.एन. मिश्रा	: निदेशक (03.02.2016 से प्रभावी)
श्री जे. पी. सिंह	: निदेशक (05.07.2017 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री श्री मोहन झा

मुख्य वित्त अधिकारी:
श्री एन. राजशेखर

कंपनी सचिव
श्री सुमांत कुमार बेहरा

सांविधिक लेखापरीक्षक:
मेसर्स एस.ए.बी.डी. एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
मेन रोड, केसिंगा,
कालाहंडी-766012
ओड़िशा

सचिवीय लेखापरीक्षक:
मेसर्स सुशांत प्रधान एवं एसोसियट्स
कार्यरत कंपनी सचिव
बिल्डिंग नं.एफ/3, सहयोग नगर,
बुढ़ाराजा,संबलपुर,ओड़िशा-768004.

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक
एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा
जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर-768020

यूको बैंक

जागृति विहार शाखा
जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर,
पिन : 768020

एक्सिस बैंक लिमिटेड,

आर.आर.मल्ल, अशोका टॉकीज रोड
वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर, ओड़िशा
पिन : 768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कोलकाता बाजार के बगल में
गोले बाजार
संबलपुर-768001

पंजीकृत कार्यालय :

आनंद विहार
डाकघर - जागृति विहार
संबलपुर, ओड़िशा - 768020

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

दिनांक 26. 06. 201**8**

सूचना

10 वीं वार्षिक आम बैठक

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की **10**वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यो को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक **6** जुलाई**, 2018,** को 1**1.00** बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, पोस्ट- जागृति विहार, संबलपुर-768020, ओडिशा में आयोजित करने की सूचना दी जाती है।

सामान्य कार्य-

1. 31 मार्च**,** 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तहत कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च**,** 201**8** का लेखापरीक्षित तुलनपत्र**,** उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि का विवरण**,** निदेशक मण्डल**,** वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट को स्वीकार व पालन करने हेतु शामिल किया गया है।

2. कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवानिवृत्त हुये निदेशक श्री एल.एन. मिश्रा (डीआईएन- 07437632**) के** स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हे पुनः निदेशक नियुक्त किया गया है।

3. कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा-139(5) के साथ धारा-142 को भी पढ़ा जाये**,** जो कि कंपनी के वित्तीय वर्ष 201**8**-1**9** के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षकों के नियत पारिश्रमिक को तय करने के लिए तथा संशोधन अथवा बिना संशोधन के निम्न संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करती है।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 142 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2018-1**9** के लिए धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने हेतु एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय-
आनंद विहार, डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारक गण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड
प्रिय सदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 10 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं आपकी कंपनी की 10 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 के लेखापरीक्षित लेखे, सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और भारत के लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5 मी.टन. क्षमतावाली तलाबीरा-3 खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु, योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्च क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, 6.5 मी.टन की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-2 खान के आबंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-2 व तलाबीरा-3 की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आबंटित की। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा-2 और तलाबीरा-3 कोयला ब्लॉकों को 20 मी.टन क्षमता और 23 मी.टन. की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यमी कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवली लिग्नाईट कार्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडाल्को की अर्थात प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी, 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई। तलाबीरा ओसीपी (20 मी.टन) की परियोजना रिपोर्ट एमसीएल बोर्ड (एक मिनी रत्न कंपनी) ने दिनांक-29.03.2008 को हुई अपनी 94वीं बैठक में कोयला एवं ओवरबर्डन के लिए आउटसोर्सिंग हिस्सों, दोनों के लिए रूपए 447.72 करोड़ की आरंभिक पूंजी लागत के साथ अनुमोदित हुई तथा एमएनएच शक्ति बोर्ड ने अपनी 15 जुलाई, 2010 को हुई सातवीं बैठक में इसका अनुमोदन किया।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र है जो एफ1-एफ1 पश्चिम में गैर कोयला क्षेत्र से सीमाबद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्तरी सीमा को ईब नदी से चिह्नित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-I खान की साझी सीमा है, जिसका संचालन हिंडाल्को कर रहा है।

इस ब्लॉक का खनन योग्य भंडार 553.98 मी.टन. (ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्ट्रीपिंग अनुपात 1:1.09 में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पावर के लिए उपयुक्त है। खान की अधिकतम क्षमता 20 एमटीवाई और आयु 34 वर्ष है ।

भू-अधिग्रहण की स्थिति-

तलाबीरा-।।। कोल ब्लॉक के लिए (1530.170 हेक्टेयर) के लिए भूमि का अधिग्रहण एमसीएल के ईब वैली क्षेत्र द्वारा कोल ब्लॉक के संयुक्त आबंटन से पूर्व सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के अंतर्गत 03.12.2005 को धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा किया गया। एमसीएल में निहित किया गया।

तत्पश्चात, तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक के लिए 383.893 हैक्टेयर भूमि का सीबीए अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया और दिनांक 26.02.2011 को धारा 11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा एमसीएल में निहित किया गया।

इस परियोजना के लिए कुल 1914.063 हेक्टेयर (पुनर्वास व रहवास के लिए आवश्यक भूमि को छोड़कर) भूमि का अधिग्रहण किया गया और इसमें झारसुगुड़ा जिला के रामपुर मालदा एवं पतरापाली गांव तथा संबलपुर जिला के तलाबीरा एवं खिंडा गांव शामिल हैं। अधिग्रहित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

काश्तकारी भूमि	451.829 हेक्टेयर
गैर-वन सरकारी भूमि	424.047 हेक्टेयर
राजस्व वन भूमि	578.005 हेक्टेयर
मानित वन भूमि	460.182 हेक्टेयर
कुल	**1914.063 हेक्टेयर**

<u>सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण</u> :

ओड़िशा की आर एंड आर नीति 2006 के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन मैपिंग एवं आधारसूत्र संरचना सर्वेक्षण किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाना है। तदनुसार, ओड़िशा सरकार ने तलाबीरा (।। व ।।।) परियोजना में मेसर्स एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सोसाइटी, भुवनेश्वर द्वारा उपरोक्त सर्वेक्षण किए जाने हेतु आरडीसी, संबलपुर की अनुशंसा को अनुमोदित कर दिया है। एमएनएच शक्ति लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् मेसर्स ए.आर.डी.सी.ओ.एस., भुवनेश्वर को कार्यादेश दे दिया गया है।

एजेंसी ने सभी ग्रामों से आंकड़े संग्रहण करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट में कुछ विसंगतियों की और रिपोर्ट को आशोधित करने के लिए कहा गया। एजेंसी ने रिपोर्ट को अंतिम रुप देने के लिए जिला प्रशासन सहित ग्रामीणों से आपतियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करना शुरु कर दिया है। मेसर्ज ए.आर.डी.सी.ओ.एस. ने अधिग्रहिस क्षेत्र पर सर्वेक्षण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट आगामी कार्रवाई हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी, संबलपुर को 04.03.2014 को प्रस्तुत कर दी है।

पुनर्वास स्थल :

मालदा और पतरापली के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थल हेतु हिरमा ग्राम की 94.32 एकड़ सरकारी गैर-सरकारी भूमि के निपटान के लिए तहसीलदार, झारसुगुड़ा को पट्टा आवेदन दे दिया गया है। विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थल हेतु ग्राम दंतामुरा की 27.00 एकड़ सरकारी(गैर-वन) भूमि तथा खिंडा ग्राम के लिए 57.65 एकड़ सरकारी(गैर-वन) भूमि के निपटान हेतु तहसीलदार, रेंगाली को पट्टा आवेदन दिया गया है।

वन पथांतरण की स्थितिः

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सम्बलपुर को डीएफ़ओ(एन) द्वारा दिनांक-14.08.2013 को वन पथांतरण प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। दिनांक 24.01.2014 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सम्बलपुर ने पथांतरण के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा दिनांक-01.02.2014 को संयुक्त पीसीसीएफ़, भुवनेश्वर के समक्ष प्रस्ताव की अनुशंसा की। जांच के उपरांत पीसीसीएफ़, भुवनेश्वर ने दिनांक 22.03.2014 को प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, ओड़ीशा सरकार, भुवनेश्वर के समक्ष अपने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

पर्यावरण मंजूरी की स्थितिः

सीबीआई के जांच परिणाम और कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार नई दिल्ली में दिनांक-28.06.2014 को ईएसी की 15वीं बैठक आयोजित हुई जिसमें ईएसी ने तलाबीरा-II एवं III ओसीपी के लिए पर्यावरण निकासी की अनुशंसा की है।

1. जल रिसाव या भू-क्षरण को रोकने के लिए जलाशय के तटबंध के ऊपर घास लगाने और वृक्षारोपण के साथ-साथ पत्थर डालकर भू-समतलीकरण किया जाता है।
2. प्रस्तावक जल विज्ञान अध्ययन और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के अनुमोदन के आधार पर बाढ़ तटबंध तैयार किया जाता हैं।
3. खान क्षेत्र से अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला का सड़क परिवहन हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
4. वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाती है और वन्यजीव संरक्षण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वन्यजीव बोर्ड के सिफारिशों को लागू भी किया जाता है।
5. डंपर का अवागमन सिर्फ भीतरी क्षेत्र तक सीमित होगा। फिर भी यांत्रिक रूप से ढके ट्रकों को तीन वर्ष के लिए लगभग 12 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अन्तरिम परिवहन की इजाजत प्राप्त है।

रेलवे साइडिंगः

रेल द्वारा 20 मिलियन टन कोयले के प्रतिवर्ष प्रेषण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु मेसर्स राईट्स को कार्यादेश जारी किया गया। मेसर्स राईट्स ने दिनांक 28.08.2012 को लपांगा स्टेशन को अपने संरक्षण में लेने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मेसर्स राइट्स ने कोडल प्रभार में 1% वृद्धि के साथ 2.56 करोड़ (256 करोड़ की अनुमानित विस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन) अग्रिम के रूप में पूर्व तट रेलवे को जमा की जाने की मांग की है या प्रस्ताव तकनीकी जांच के अधीन रखा है। दिनांक-

07.09.2013 को 2.27 करोड़ का कोडल प्रभार पूर्व तट रेलवे को जमा किया गया। आर.टी.सी. ने इसे दिनांक 24.03.2014 को रेलवे बोर्ड को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा।

वर्तमान स्थिति

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 सितम्बर, 2014 को कोल ब्लॉको के आबंटन पर भारत सरकार की अनुवेक्षण समिति के आधार पर एक फैसला सूनाया है, जिसके अनुसार सरकारी व्यवस्था द्वारा आबंटन मनमाना और गैर-सरकारी समूहों के साथ 1993 से लागू संयुक्त वाणिज्यिक भागीदारी है, को आबंटित कोल ब्लॉक रद्द हो गये है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा- II एवं III के कोयला ब्लॉक को दिनांक-24.09.2014 के तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र संख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17.02.2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तालबीरा II एवं III के कोयला खान के आवंटन से संबन्धित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटी से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत खास जानकारी मांगी गई एवं दिनांक 29.02.2016 को पूर्व आवंटी यानि एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा ई-मेल के माध्यम से उसे प्रेषित किया गया।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार रखती है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय से पूर्व आवंटी के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भुगतान आयुक्त कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता की सहमति से भौगौलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा की अग्र संवितरण राशि अंतरित की गई है। इसमें तलाबीरा II एवं III कोयला खदान की मुआवजा राशि 15,88,94,332 का अंतरण दिनांक-04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से किया गया।

पुन: नामित प्राधिकारी के कार्यालय से पूर्व आवंटी के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-II) के तहत भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता की सहमति से खदान आधारभूत संरचना की लागत की मुआवजा को अग्र संवितरण राशि में अंतरित किया गया। इसमें सिर्फ तलाबीरा II एवं III के कोयला खदान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि का अंतरण किया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्चः

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

जोखिम प्रबंधन

पभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमयों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते है, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।

संबंधित पार्टी लेन-देन

सभी संबंधित पार्टी लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान आर्मस लेंथ आधार पर प्रवेश किये थे तथा सामान्य व्यापर में शामिल किये गये थे कंपनी द्वारा प्रोमोटरों मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या पर्दे के साथ मेटेरियल सिग्निफिकेंस संबंधी पार्टी लेन-देन नहीं किया जाता है।

ऋण गारंटी और निवेशों की विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत् वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति पस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा करें।

निगरानी तंत्र / विशेल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड ए.जी. सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन समिति

कंपनी ने नामांकन समिति का गठन अभी तक नहीं किया है।

कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी ने वर्ष के दौरान विकास की स्थिति में सी.एस.आर. गतिविधियों की दिशा में कोई व्यय नहीं किया है।

पूंजी संरचनाः -

कंपनी का दिनांक 31.03.2018 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु.8510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप दी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

(रु.लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	5957.00
नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड	1276.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1276.50

वित्तीय समीक्षाः

कंपनी की तलाबीरा-।। एवं ।।। खानें विकासाधीन हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इस अवधि में हुए सभी खर्च को पूंजीकृत किया गया है अत: आलोच्य अवधि का लाभ-हानि लेखा के वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष के अंत में शून्य दर्शाता हैा लेखा के मुख्य वित्तीय आंकडे निम्नानुसार हैं-

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु लाख में)

क्र.संख्या	विवरण	31 मार्च,2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	8510.00	8510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2139.41	2218.66
4	पूंजीगत कार्य में वृद्धि	252.67	437.53
5	अन्वेषित तथा मूल्यांकित संपत्ति	0.00	0.00
6	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	5584.87	5475.39
7	अन्य मौजूदा परिसंपत्ति	488.83	460.14
8	अन्य चालू देनदारियां	7.93	133.89
9	प्रारंभिक व्यय	52.15	52.15

आय और व्यय सीधे तुलनपत्र को हस्तांतरित

(पूंजी कार्य की प्रगति नोट-4)

(रु. लाख में)

क्र.	राजस्व व्यय का तुलन पत्र में हस्तांतरण	वर्तमान वर्ष 2017-18	गत वर्ष 2016-17
1	कर्मचारियों का वेतन व मजदूरी	5.38	8.87
2	मरम्मत खर्च	0.05	0.00
3	बी.जी/अन्य के लिए बैंक प्रभार	0.01	0.01
4	वाहन किराया व्यय	3.93	1.21
5	बैठक खर्च	0.23	0.05
6	लेखा परीक्षा शुल्क	1.49	1.16
7	यात्रा खर्च एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ता	2.34	0.65
8	बिल्डिंग का किराया	2.40	2.40
9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.04	0.57
10	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	0.43	0.43
11	एमसीएल से ऋण के लिए ब्याज	4.75	9.07
12	अन्य व्यय	1.02	2.03
13	मूल्यह्रास	79.25	79.76
14	**कुल व्यय**	**102.32**	**106.21**
15	**कमः फिक्स्ड डिपॉजिट तथा दूसरो पर ब्याज आय**	**287.18**	**261.85**
16	**कुल व्यय के तुलन पत्र पर स्थानांतरण**	**-184.86**	**-155.64**

लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2017-18 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया-

मेसर्स एस.ए.बी.डी एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
मेन रोड, कसिंगा
कलाहांडी-766012
ओडिशा

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा-204 के अंतर्गत निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2017-18 के सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसियेट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
बिल्डिंग नं.-F/3,
सहयोग नगर,
बुढ़ाराजा, सम्बलपुर,
768004. ओड़िशा

निदेशक मंडल

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थेः

श्री ओ. पी. सिंह	: अध्यक्ष
श्री एस. अशरफ	: निदेशक
श्री बी. पी. मिश्रा	: निदेशक
श्री सुबीर दास	: निदेशक
श्री एल.एन. मिश्रा	: निदेशक
श्री जे. पी. सिंह	: निदेशक (दिनांक-05.07.2017 तक)

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 201**7**-1**8** के दौरान बोर्ड की चौथी बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधियों के साथ नीचे दी जा रही है।

बैठक संख्या	**बैठक की तिथि**	**बैठक आयोजन स्थल**
40 वीं	16.05.2017	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
41 वीं	26.05.2017	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
42 वीं	15.11.2017	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
43 वीं	29.01.2018	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण:-

नाम और पदनाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक	
		अवधि में हुई बैठक	उपस्थिति
श्री ओ. पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	4	4
श्री एस. अशरफ	सरकारी उम्मीदवार	4	2
श्री बी. पी. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	4	3
श्री सुबीर दास	नॉन-एक्जेक्यूटिव	4	2
श्री एल.एन. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	4	3
श्री जे. पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	2	1

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अन्तर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्वों के वक्तव्य के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि-

1. यह कि वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू किए जाने वाले लेखा मानकों का पालन (लेखा पर टिप्पणी में दर्शाए गए को छोड़कर) महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

2. यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति का चयन किया है एवं उसका सतत् कार्यान्वयन किया है और ऐसे निर्णय व अनुमान किए हैं जो तर्कसंगत हों और न्यायोचित हो ताकि समीक्षाधीन वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की सत्य एवं न्यायसंगत छवि प्रदर्शित हो सके।

3. यह कि निदेशकों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन रिकार्ड रखने पर उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है जिससे कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के साथ-साथ उसे रोका जा सके।

4. यह कि निदेशकों ने लाभकारी कारोबार (गोइंग कन्सर्न) के आधार पर 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार किए हैं।

5. सभी वैधानिक कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों ने उचित सिस्टम तैयार किया है तथा कहा है कि इस तरह कि व्यवस्था पर्याप्त है तथा प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहें है।

कर्मचारियों का ब्यौराः

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में नियमावली 2014 के तहत् आवश्यक जानकारी कंपनी के अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत् कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण वार्षिक आम बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सदस्य इसकी जांच करना चाहता हे तो वह सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम में लिखे।

बैंकों के नाम एवं पतेः-

क्रं.सं.	नाम	शाखा का पता
1.	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, पिन-768020
2.	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, पिन-768020
3.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मल्ल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर, ओड़िशा, पिन-768001
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोले बाजार, संबलपुर-768001

भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी संलग्नित है।

लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्टः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत् प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाये जो कि आत्मव्याख्यातक है, स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी न की जाये। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा की प्राप्त रिपोर्ट संलग्नित है।

वार्षिक रिटर्न का सार

एम.जी.टी-9 के रूप में वार्षिक रिटर्न का सार की जानकारी इसके साथ संलग्नित है।

अभिस्वीकृतिः-

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए अपने बहुमूल्य सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण लेखा परीक्षकों, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-2, कोलकाता के अधिकारी एवं स्टाफ, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय आदेश एवं कंपनी पंजीयक, ओड़िशा द्वारा दी गई सेवाओ के लिए उनकी सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (परिशिष्ट-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट (परिशिष्ट-II)
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (परिशिष्ट-III)
4. वार्षिक रिटर्न का सार। (परिशिष्ट-IV)

दिनांकः 06.07.2018
स्थान :संबलपुर

ह/-
(ओ. पी. सिंह)
अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड
DIN: 07627471

अनुलग्नक-I

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्यगण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:

हमने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('द एक्ट') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्याकथन से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया

है कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक का वित्तीय विवरण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त है।

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा का साक्ष्य पर्याप्त है तथा भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय पर बनाने के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

मत

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31.03.2018 में कंपनी के मामलो की स्थिति एवं वर्ष के अंतिम तिथि के नकद प्रवाह से संबन्धित हैं।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी आदिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के उपरांत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण, उस पर किए गए कार्यों और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव की एक रिपोर्ट अनुलग्नक- बी में देते हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार हम वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षा, उस पर किए गए कार्यों, और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के पश्चात कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त अनुदेशों पर एक विवरण इस अनुलग्नक-सी में प्रस्तुत करते हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-

क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद था।

ख) हमारे विचार से कानून के अनुसार सभी वांछित लेखा बही कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक था।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा रोकड़ उपयोग को इस रिपोर्ट में लेखा-वही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत लेखा के विशिष्ट मानक को उपर्युक्त वित्तीय विवरण में पालन किया गया है जो कंपनीय(लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निहित है।

ड़) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31.03.2018 तक नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को आयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्ता और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से संलग्न किये गए हैं। (अनुलग्नक-डी)

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम, 11 (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii) कंपनी ने दीर्घकालीन अनुबंधों के साथ-साथ व्युत्पन्न अनुबंधों पर निकट आर्थिक घाटों अगर कोई हो तो, के लिए लागू नियम अथवा लेखा मानकों में आवश्यक प्रावधान बनाए हैं।

iii) इन्वेस्ट एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को हस्तांतरित किये जाने वाली राशि में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

दी गई तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एवं एसोसियट्स के लिए/'की ओर से
सनदी लेखाकार

ह./
(सनदी लेखाकार बी.के. गोयल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 505314)
संस्था पंजी. सं. - 020830N

दिनांक : 27.04.2018
स्थान: संबलपुर

अनुलग्नक-क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकता हेतु हमारे प्रतिवेदन की तिथि पैरा-1 निर्दिष्ट की गई है।

i) स्थायी परिसंपत्ति के संबंध में :

यह कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर संख्यात्मक ब्यौरा तथा स्थायी परिसंपत्ति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकार्ड का रख-रखाव करता है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी का स्थायी परिसंपत्ति का चरणबद्ध आकृतितात्मक रुप से व्यस्थापन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जिसमें हमारे से तथ्यमूलक रूप से कंपनी के आकार तथा संपदा की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है।

अचल संपत्ति का टाइटल डीड कंपनी के नाम से है।

ii) माल के संबंध मेः

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कलपुर्जों एवं कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। अतः प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इसकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई।

iii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी का कर्ज तथा अग्रिम

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी को कोई कर्ज या अग्रिम इस वर्षावधि में नहीं दिया गया जिसका विवरण अद्योलिखित हैः-

क) लागू नहीं

ख) लागू नहीं

ग) लागू नहीं

iv) **कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 एवं 186 में कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति से संबंधित शर्तों को संशोधित किया गया।

v) जनता से स्वीकृत जमा

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार हीं किया तद्नुसार कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड का रख-रखाव

लागू नहीं।

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में

क) एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए स्टाफ के अतिरिक्त कंपनी का अपना कोई स्टाफ नहीं है। अतः वर्ष के दौरान भविष्य निधि देय की कटौती एवं जमा लागू नहीं होता। पुनः चंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन एवं बिक्री शुरू नहीं किया है, अतः सरकार को कोई वैधानिक देय का भुगतान देय नहीं है।

ख) कंपनी के सभी रेवन्यु आय का लागत तथा व्यय इंटेंजेबुल ऐसेट के अंतर्गत होने के कारण विकास को इसके व्यवसायिक उत्पादन में नहीं रखा गया है। तद्नुसार एफ.डी.आर. पर बैंक व्याज की कमाई भी लागत अनुसार ही मानी जाती है। फिर भी आयकर विभाग ने इसे रेवन्यु आय माना है तथा यह तथ्य आयकर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास अभी भी लंबित है।

viii) बैंक या वित्तीय संस्थान से ली गई ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने किसी संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड लागू नहीं होता।

ix) पैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये गए है, उनपर लागू है।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (तरीका तथा राशि)

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

xii) निधि कंपनी से संबंधित प्रावधान

लागू नहीं।

xiii) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के तहत् पार्टी के लेन-देन से संबंधित अनुपालन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है।

xiv) वर्ष के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv) निदेशकों तथा उनके साथ जुड़े सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनके साथ जुडें सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है।

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के अनुभाग 45-आई.ए. के अंतर्गत पंजीकरण

लागू नहीं।

दिनांकः27.04.2018
स्थानः संबलपुर

प्रति एस.ए.बी.डी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या-020830N
ह/-
सनदी लेखाकार बी.के. गोयल
पार्टनर
एम.नं.-505314

अनुबंध-ख

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुपालन के तहत रिपोर्ट
कंपनी : एम.एन.एच शक्ति लिमिटेड
आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर

वित्तीय वर्ष : **2017-18**

क्र.सं.	जारी दिशानिर्देश	सांविधिक लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फीहोल्ड तथा लीजहोल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज दे जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	सीबीए (ए एंड डी) के तहत सरकारी, गैर सरकारी वन भूमि अधिग्रहित की जाती है।
2	क्या बेवबर/राइट ऑफ का उधार/कर्ज/ब्याज आदि का कोई विवाद है? यदि हां तो इसके कारण तथा इसमें राशि की संलिप्तता	उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखा परीक्षा वर्षावधि के दौरान उधार/कर्ज/ब्याज आदि में बेवबर का कोई विवाद नहीं है।
3	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी का इनवेनटरी तथा सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति है।	जैसा हमें सूचित किया गया है कि कंपनी का तीसरे पक्ष के साथ कोई भी व्यावसायिक संबंध नहीं है। इसलिए इसका रिकॉर्ड आवश्यक/अनुरक्षित नही है। प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई उपहार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांकः27.04.2018
स्थानः संबलपुर

प्रति, एस.ए.बी.डी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या-020830N

ह/-
सनदी लेखाकार बी.के. गोयल
पार्टनर
एम.नं.-505314

अनुलग्नक- ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत 2017-18 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसके सहायक और संयुक्त उद्यमों के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के अतिरिक्त निर्देशों की रिपोर्ट का अनुसरण

कंपनी : एमएनएच शक्ति लिमिटेड

आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर

वित्तीय वर्ष: 2017-18

क्र.	**जारी निर्देश**	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रति-उत्तर
1.	समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक मापन किया गया था या नहीं। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए किसी भी नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी?	कंपनी ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है। इसलिए खंड लागू नहीं है।
2.	क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय / विभाजित / पुन: संरचना के समय संपत्तियों और परी-संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का आयोजन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है?	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी क्षेत्र का कोई विलय/विभाजित/पुन: संरचना नहीं है।
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रखरखाव किया गया है। खाते के निधि के उपयोग की भी जांच करें।	तालाबीरा के लिए एस्क्रो खाते- II और III को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, संबलपुर में खोला और रखरखाव किया गया था।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए जुर्माना का प्रभाव उचित है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है?	प्रबंधन द्वारा सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

दिनांक : 27.04.2018

स्थान :संबलपुर

कृते एसएबीडी एवं एसोसियट्स

(सनदी लेखाकार)

पंजी. संख्या. :020830N

ह/-

सनदी लेखाकार बी. के. गोयल

साझेदार

एम.सं. : 505314

अनुलग्नक-घ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः
31 मार्च, 2018 कंपनी के रूप में एमएनएच शक्ति लिमिटेड (द कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय विवरणों के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के चार्टड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1)अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तेयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आस्वाषन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं ब्यय किया जा रहा है ।(3)अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभावों होसकता है, का समयपर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आस्वाषन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं सहित नियंत्रण की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड व मिलीभगत की संभावना के कारण सामाग्री के गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों वा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है ।

मत

हमारे मत में भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किया गया वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

दिनांकः27.04.2018
स्थानः संबलपुर

प्रति, एस.ए.बी.डी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या-020830N

ह/-
सनदी लेखाकार बी.के. गोयल
साझेदार
एम.नं.-505314

अनुलग्नक -II

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27.04.2018 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के के अंतर्गत एमएनएच शक्ति लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है। हमारी जानकारी के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-

(रीना साहा)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11.06.2018

अनुलग्नक-III

फार्म संख्या एम.आर.- 3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए

{कंपनी अधिनियम 2013 के नियम क्र.9 व कंपनी अधिनियम(नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निजी) 2014 के खंड 204(1) के अनुसरण में}

प्रति
सदस्य गण
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड
आनंद विहार
पोस्ट ऑफिस,जागृति विहार,बुर्ला
संबलपुर, ओडिशा-768020
भारत

हमने मेसर्स एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण दिनांक- 31 मार्च, 2018 के समाप्त वित्त वर्ष में किया। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर हमारी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं ।

1. मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके के तहत् बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी के अधिनियम ,1956 तथा उसके तहत् बनाये गए नियमावली के अंतर्गत विशिष्ट वर्गों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाये गए नियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तदाधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

vi) अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण), अधिनियम, 2011, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेनिंग का निषेध), अधिनियम, 1992, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

ix) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमयन, 2008 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन, 1993 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) नियमन 1998, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

2, कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों व विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणाली और व्यवस्था के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर हमने विश्वास किया। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों व विनियमों के प्रमुख शीर्षसमूहों में दर्ज है।

क) कारखाना अधिनियम, 1948

ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

ग) ट्रेड यूनियन, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक नियम

घ) खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित कार्य

ङ) वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ई.एस.आई.सी. मुआवजा, मातृत्व, लाभ, श्रमिक, कल्याण आदि से संबंधित पेरोल व संविदात्मक आधार पर कंपनू द्वारा नियुक्त किये गए कर्मचारियों एवं श्रमिकों से संबंधित श्रमिक एवं अन्य आनुषंगिक कानून।

च) पर्यावरण एवं संरक्षण के तहत् निर्धारित अधिनियम।

छ) संविदा, टिकट, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यापार कानून।

हमारे आगे के प्रतिवेदन के तहत्

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल विधिवत गठन किया गया है। अधिनियमों के अनुपालन में निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन को उल्लिखित टिप्पणियों की शर्तों पर कार्यान्वित किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की पर्याप्त सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची व विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेज दिए जाते है तथा बैठक में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए कार्यसूची संबधी वांछित अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण पूर्व में ही प्राप्त करने हेतु प्रणाली मौजूद है ।

सभी निर्णयों का सर्वसम्मति से पालन किया जाता है तथा असहमत सदस्य के विचारों को, यदि हो तो, कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है ।

हम पुन: प्रतिवेदित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार व संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

प्रति सुशांत प्रधान एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
सी.एस. सुशांत प्रधान
सदस्यता क्र.: 29239
सी.पी.क्रः14238

स्थानः सम्बलपुर
दिनांकः 26.05.2018

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि **अनुलग्नक-क** मे संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - क

प्रति
सदस्य गण,
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड
आनंद विहार,
पोस्ट ऑफिस-जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर, ओडिशा-768020

इस पत्र के साथ इसी तारीख तक की हमारी रिपोर्ट को पढ़ी जाये।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करने के लिए है।
2. हमने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता जांच के आधार पर सुनिश्चित किया गया। हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है वे तदाशय में एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खाते की सत्यता और वित्तीय अभिलेखों का औचित्य और किताब सत्यापित नहीं किया है।
4. हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर पक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के लिए और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
सी.एस. सुशांत प्रधान
सदस्यता क्र.: 29239
सी.पी.क्रः14238

स्थानः संबलपुर
दिनांकः 26.05.2018

अनुलग्नक-IV

फॉर्म संख्या. एमजीटी-9

दिनांक 31.03.2018 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 92(I) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियमावाली 2014 की नियम 12(I) के तहत

I.	**पंजीकरण एवं अन्य विवरण:**	
i)	सीआईएन:-	**U10100OR2008GOI010171**
ii)	पंजीकरण तिथि	**16/07/2008**
iii)	कंपनी का नाम :	**एमएनएच शक्ति लिमिटेड**
iv)	कंपनी की श्रेणी: -	1 सार्वजनिक कंपनी ( ) 2 निजी कंपनी (√)
v)	कंपनी के उप-केटेगरी:- [जो लागू है कृपया उस पर टिक लगाए	
	सरकारी कंपनी	(√)
	लघु कंपनी	( )
	एक व्यक्ति की कंपनी	( )
	विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी	( )
	एनबीएफ़सी	( )
	गारंटी कंपनी	( )
	शेयरों द्वारा सीमित/	(√)
	असीमित कंपनी	( )
	कंपनी शेयर पूंजी के साथ	(√)
	कंपनी शेयर पूंजी के विना	( )
	धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी	( )
vi)	पता	**मो./डाकघर - आनंद विहार जागृति विहार,बुर्ला**
	शहर :	**संबलपुर**
	राज्य :	**ओड़िशा**

देश का नाम : **भारत**

पिन कोड : **768020**

फ़ैक्स नाम : **0663-2542553**

ईमेल का पता : **csmnhshaktiltd@gmail.com**

वैबसाइट :

vii) क्या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सूचीबद्ध किया गया है- हाँ/ नहीं√

vii) पंजीकृत अथवा स्थानांतरण एजेंट के नाम,पता एवं संपर्क विवरण,यदि कोई है **शून्य**

II **कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां -**

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक के योगदान की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण:-

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के विवरण	उत्पादों/सेवाओं के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री की प्रतिशतता
1	**कोयला**	**051-05101 एवं 051-05102**	**100**

III. धारक ,सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण-

क्र.सं.	**कंपनी का नाम और पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/ अनुषंगी/ सहयोगी**	**शेयर का %**	**लागू धारा**
1	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड **मो./डाकघर** - जागृति विहार बुर्ला संबलपुर - 768020. ओड़िशा	U10102OR1992GOI003038	धारक	70	धारा - 2 (87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक अप)

i) श्रेणी के हिसाब से शेयरहोल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	**वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या**				**वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या**				**वर्ष के दौरान % में बदलाव**
	डीमेट	**वास्तविक**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	**डीमेट**	**वास्तविक**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) राज्य सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ) निकायों निगम	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**
ङ) बैंकों/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) अन्य कोई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रोमोटरों के कुल शेयरहोल्डिंग (क)	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थाएं									
क) म्यूचुअल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) बैंको/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ)राज्य सरकार(एस)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) इन्शुरेंस कंपनियों	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
छ) एफआईआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ज) विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

झ) अन्य(विशेष)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग(ख)(1):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर- संस्थानों									
क) निकायों निगम									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख से तक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख से अधिक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य(विशेष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ख) (2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरों के रख-रखाव(ख)=(ख) (1)+ (ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर एवं एडीआर के पास शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (क+ख+ग)	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**

II. प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग

क्र.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान % में बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	प्लेज्ड शेयरों का **% /** कुल शेयरों के लिए भारिता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	प्लेज्ड शेयरों का **% /** कुल शेयरों के लिए भारित	
1.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	59570000	70	शून्य	59570000	70	शून्य	शून्य
2.	हिंडाल्को इंडसट्री लिमिटेड	12765000	15	शून्य	12765000	15	शून्य	शून्य
3.	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	12765000	15	शून्य	12765000	15	शून्य	शून्य

iii) **प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हुआ हो तो स्पष्ट करें)**

क्र.		**वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग**	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	**प्रारंभिक वर्ष में**	85100000	100	100	85100000
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	**अपरिवर्तित**			
3	अंतिम वर्ष में	85100000	100	100	85100000

IV. शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न(जीडीआर एवं एडीआर से संबंधित निदेशकों,प्रोमोटर्स एवं होल्डर्स के अलावा)

क्र.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	**वर्ष के प्रारंभ में**	**शून्य**			
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	**शून्य**			
3	वर्ष के अंत में(या वर्ष के दौरान विभाजन की तिथि, यदि कोई विभाजन हुई हो तो	**शून्य**			

V) निदेशकों के शेयरहोल्डिंग एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

क्र.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1. वर्ष के प्रारंभ में		0	0	0	0
2. तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):		0	0	0	0
3. वर्ष के अंत में		0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता :

कंपनी का ब्याज बकाया/ उपार्जन सहित ऋणग्रस्तता परंतु भुगतान के लिए देय नहीं:

(रु. लाख में)

	जमा रहित सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0	130.30	0	130.30
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	130.30	0	130.30
वित्त वर्ष में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन			0	
* जोड़	0	0	0	0
* घटाव	0	125.03	0	125.03
निवल परिवर्तन	0	125.03	0	125.03
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0	5.27	0	5.27
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**5.27**	**0**	**5.27**

VI. निदेशकों एवं प्रबंधात्मक कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**एमडी/डब्लुटीडी/मैनेजर का नाम**	**कुल राशि**
1	सकल वेतन	-----	-----
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-----	-----
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-----	-----
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-----	-----
2	स्टॉक का विकल्प	-----	-----
3	स्वीट इक्वीटी	-----	-----
4	कमीशन	-----	-----

	- लाभ के % के रूप में - अन्य(निर्दिष्ट करें...		
5	अन्य,(निर्दिष्ट करें...	-----	-----
	कुल (क)		-----
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-----	-----

ख. ***अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक:***

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
1	स्वतंत्र निदेशक	-----	-----
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-----	-----
	कमीशन	-----	-----
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	-----	-----
	कुल (1)	-----	-----
2	अन्य गैर- कार्यकारी निदेशकों	-----	-----
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-----	-----
	कमीशन	-----	-----
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	-----	-----
	कुल (2)	-----	-----
	कुल (ख)=(1+2)	-----	-----
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-----	-----
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	-----	-----

ग. ***एमडी / प्रबंधक / डब्लुटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मियों के पारिश्रमिक:***

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मी**	
			कुल
1	सकल वेतन	-----	-----
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-----	-----
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-----	-----
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-----	-----

2	स्टॉक का विकल्प	-----	-----
3	स्वीट इक्वीटी	-----	-----
4	कमीशन	-----	-----
	- लाभ के % के रूप में	-----	-----
	- अन्य (निर्दिष्ट करें...	-----	-----
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-----	-----
	कुल	-----	-----

VII. जुर्माना/ दंड/ अपराधों का समझौता:

प्रकार	**कंपनी के नियम अंतर्गत धारा**	**विस्तृत विवरण**	**जुर्माना / दंड / लगाए गए समझौता फीस का विवरण**	**अथोरीटि [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]**	**अपील,यदि हो, तो विवरण दें**
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलनपत्र
31 मार्च 2018 तक

(रु॰ लाख में)

	नोट संख्या	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	2,139.41	2,218.66
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	252.67	437.53
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) परिसंपत्तियाँ अमूर्त	6	-	-
(ड़) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ		-	-
(च) निवेशित संपत्ति		-	-
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(ज) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(ञ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
(i) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		2,392.08	2,656.19
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	0.65	0.69
(iv) अन्य बैंक शेष	15	5,584.22	5,474.71
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	3.01	3.01
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	485.82	457.13
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		6,073.70	5,935.54
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**8,465.78**	**8,591.73**

जारी तुलनपत्र .....

तुलनपत्र
31 मार्च 2018 तक

	नोट संख्या	3/31/2018 के अनुसार	3/31/2017 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	8,510.00	8,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(52.15)	(52.15)
कंपनी के इक्विटी धारक को इक्विटी		8,457.85	8,457.85
गैर - नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		8,457.85	8,457.85
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय	19	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	7.86	132.88
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	0.07	0.28
(ग) प्रावधान	21	-	0.72
कुल चालू देयताएँ (ग)		7.93	133.89
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**8,465.78**	**8,591.73**

साथ के टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एन. राजशेखर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस.एम. झा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जे. पी. सिंह
निदेशक
डीआईएन : 06620453

ह/-
ओ. पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकर

ह/-
(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्या . 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन

दिनांक 27.04.2018
स्थान: सम्बलपुर

लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए

		नोट संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए
	प्रचालन से राजस्व			
क	विक्रय(निवल)		-	-
ख	अन्य प्रचालन राजस्व (निवल)		-	-
(I)	**प्रचालन से राजस्व (क+ख)**		-	-
(II)	अन्य आय		-	-
(III)	**कुल आय (I+II)**			
(IV)	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत		-	-
	निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
	उत्पाद शुल्क			
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	-
	ऊर्जा व्यय		-	-
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		-	-
	मरम्मत		-	-
	संविदात्मक व्यय		-	-
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		-	-
	प्रावधान		-	-
	बट्टे खाते में डालना		-	-
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन			
	अन्य व्यय		-	-
	कुल व्यय (IV)			-
(V)	**असाधारण मद एवं कर पूर्व पहले लाभ (I-IV)**		-	-
(VI)	असाधारण मद		-	
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**			-
(VIII)	कर व्यय			
(IX)	**सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**			-
(X)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	
(XI)	बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		-	-

लाभ एवं हानी विवरणी जारी....

लाभ एवं हानि विवरणी
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए

(रु. लाख में)

		नोट संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए
	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
	(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
	ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**			-
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)**			-
	लाभ के लिए जिम्मेदार :		-	
	कंपनी के स्वामित्व		-	-
	गैर-नियंत्रित ब्याज			
	अन्य व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के स्वामित्व		-	-
	गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
	कुल व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के स्वामित्व		-	-
	गैर-नियंत्रित ब्याज		-	
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):**			
	(1) मौलिक		-	
	(2) मंदित		-	
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::**			
	(1) मौलिक		-	-
	(2) मंदित		-	-
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):**			
	(1) मौलिक		-	-
	(2) मंदित		-	-

संगत टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-
(एस. के. बेहेरा)	**(एन. राजशेखर)**	**(एस.एम.झा)**
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

ह/-	ह/-
जे. पी. सिंह	**ओ. पी. सिंह**
निदेशक	**अध्यक्ष**
डीआईएन: 06620453	**डीआईएन: 07627471**

तय तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एवं सहयोगियों के बदले और उनकी ओर से
सनदी लेखाकर

ह/-

दिनांक : 27.04.2018
स्थान: सम्बलपुर

(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या . 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन

31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2016 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2017 तक शेष	दिनांक 01.04.2017 तक शेष	नौ महीने के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2018 तक शेष
प्रत्येक रु. 10 /- के 85100000 इक्विटी शेयर	8,510.00	-	8,510.00	8,510.00	-	8,510.00

ख) अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	वरीयता शेयर पूंजी के इक्विटी का भाग	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल	गैर-नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
दिनांक 01.04.2016 तक शेष						(52.15)	-	(52.15)	-	-
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि के दौरान हुई त्रुटि से पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2016 तक पुन: वर्णित	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	52.15	-	52.15	-	-
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>विनियोजन</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व संचालित व्यय	-	-	-	-	-	-	(52.15)	(52.15)	-	-
दिनांक 31.03.2017 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**(52.15)**	**-**	**-**
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	-	-	-	(52.15)	(52.15)	-	-
अवधि के दौरान योग	-	-	-	-	-			-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-		-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि के दौरान हुई त्रुटि से पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व को/से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को/से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित पूर्व-संचालित व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**(52.15)**	**-**	**-**

टिप्पणी: 1 कॉरपोरेट जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तलाबीरा -II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की अंतिम क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच क्रमश: 70:15:15 के अनुपात के एक्विटी होल्डिंग के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16 जुलाई, 2008 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड संयुक्त उद्यम निगमित किया गया और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उसे पंजीकृत किया गया।

टिप्पणी **2:** महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 **तैयारी का आधार**

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक के सभी अवधि के लिए इसी दिन समाप्त वर्ष को शामिल करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133, सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम -2006 (पूर्व भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपना वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह वित्तीय विवरण कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है।

वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर प्रमाणित कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के अतिरिक्त पारंपरिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है। (पैरा 2.15 में उल्लेखित वित्तीय मामलों पर लेखा नीति का अवलोकन करे)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगिया-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है। समूह संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक समूहों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं।

अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। समूह के सदस्य आमतौर पर नीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि समूह द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संक-लित किया गया है। सहायक समूहों के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में तथा समूहों के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक' समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ:-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

कंपनी अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.5 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सन्युक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं, जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

समूह उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक समूहों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोग ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व के हित में कमी होती है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो पहले व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि का केवल आनुपातिक हिस्सा उचित या लाभ के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 विक्रय राजस्व -

माल बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार किया जाएगा।

क. सत्ता ने विक्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

ख. वस्तुओं की बिक्री पर सत्ता का स्वामित्व के संबंध में प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा।

ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।

घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे सत्ता को प्रदान किया जाएगा।

ङ. लेन-देन के संबंध में किए गए या खर्च किए जाने की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए करों, लेवी या शुल्क को छोड़कर अनुबंधित रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में लेते हुए प्राप्त होने वाले प्राप्य उचित मूल्य पर राजस्व को मापती है।

हालांकि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर समूह ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली समूह अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि यह उत्पादक की देयता है, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, चाहे माल बेचे गए हों या नहीं कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर वसूली गई उत्पाद शुल्क के बाद से सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल किया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय स्वीकार की जाती है।

2.4.3 लाभांश

जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार स्थापित किए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे:

अन्य दावे (ग्राहकों से विलंब से वसूली पर ब्याज सहित) का लेखा-जोखा रखा जाता है, जब वसूली की निश्चितता हो।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तो लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तों लेनदेन का आंकलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जायेगी।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को जाएगी।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाएगी।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती, जब तक कि यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी शर्तों का कंपनी पालन करेगी तथा इसकी निश्चितता हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त किये जाएंगे।

लाभ हानि विवरण में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रुप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि या विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी अनुदान जो कंपनी के पूर्व में हुए खर्चों या नुकसान के लिए अथवा तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त करने योग्य होते है जिसमें भावी खर्चे शामिल नहीं है, उस अवधि के लाभ या हानि में स्वीकार किए जाते है जिसमें इसे प्राप्त करना है।

2.6 पट्टा:

वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जो वास्तव में सभी जोखिमों एवं उपलब्धियों को किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है। स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

प्रचालन पट्टा, वित्तीय पट्टा से एक भिन्न पट्टा है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पट्टा जो कंपनी को स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और उपलब्धियों को स्थानांतरित करता है उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थायी दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि :

क. उपभोक्ता लाभ के समय स्वरुप दूसरा सुव्यवस्थित बाजार अधिक द्योतक है, यद्यपि पट्टादाता को उस आधार पर भुगतान न किया गया हो अथवा,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी:

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टों से आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक इनमें से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

क. समय प्रणाली का दूसरा व्यवस्थित आधार प्रभावी द्योतक है जिसमें पट्टादाता को इस आधार पर भुगतान नहीं करने पर भी पट्टाधारित परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ को कम कर दिया जाता है अथवा

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए । प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा।

संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।
- वर्तमान के उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य हेतु बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढ जा रहा हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: पूरी हो तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि पारम्परिक लागत पर ली जाती है। पारम्परिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी सचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैं:

क) इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छोट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गै-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल है।

ख) प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक कोई लागत है।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी किसी समुपयोगी अंश में उसी पीपीई के साथ जीवनोपयुक्त हो जाता है तथा विखंडनीकरण प्रणाली एक समूह में आ जाते हैं जो शुल्क सहित होता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लेखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वर्तमान राशि में स्वीकार किए जाते हैं, अगर संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनियता से मापा जा सकता है, तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वर्तमान राशि को नीचे अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रुप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वर्तमान राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा संपत्ति के अनुमानित जीवन के अनुसार संरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान की जाती है।

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित) -परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो

भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन - कंपनी अपने समस्त परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लागत मोडल के अनुसार वहन व्यय सहित इसे अनवरत रखने के लिए चुनी गई है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्ती तिथि, पूर्व के जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा उसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में उन्हें संचित प्रावधान के कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत “विकास “ में स्थानांतरित की गई है। हालांकि, यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत

पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना रेपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना वाणिज्यिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती तो परियोजना/खानों को राजस्व के लिए लाया जाता है:

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, अथवा

ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

ग) उस वर्ष के बाद वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार सन्योजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारम्भिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हाँइकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिए जाते हैं।

विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रुप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नही किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रुप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकारक हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित कार्यशील जीवन के साथ किसी अमूर्त परिसम्पत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वर्तमान राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय में निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेशित संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

2.15 वित्तीय दस्तावेज:

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 **वित्तीय परिसंपत्तियाँ -**

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या

सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया

2**.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण दस्तावेज:**

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो "ऋण दस्तावेज" का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूर किया जाता है, और

ख. परिसंपत्तियों का संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई को निरुपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेज का प्रारम्भिक तैर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, क्षति से होने वाले नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हाँइ को पहले अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफओटीओसीआई ऋण दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की गई है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण दस्तावेज:

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति सिर्फ तभी दी जाती है, जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवे

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों के लिए कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य विस्तृत आय में प्रस्तुत करने के लिए चयन कर सकती है। कंपनी किसे दस्तावेज पर ऐसा चयनीत दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण आरंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जो कि अपरिवर्तनीय है। यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है तब लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओ.सी.आई से पीएंडएल में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पीएंडएल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में स्वीकार किए जाते हैं।

2.15.2.6 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय परिसंपत्ति की (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) मान्यता को मुख्य रुप से तब समाप्त कर दिया जाता है (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है अथवा निकासी व्यवस्था प्रारंभ किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों एवं उपलब्धियों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के सभी उपलब्धियों व जोखिम को बनाए रखा है और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब तक कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि -

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं -

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं माप-

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में सीधे निवेल आरोप्य लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर -

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ व हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रुप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ -

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि यह इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देनदारियां होती है। जो वित्तीय परिसंपत्तियों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मंडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण है गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी की परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछले स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करते हुए) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है

निम्नलिखित सारणी विविध पुन:वर्गीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण की प्रवधि दर्शाता है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के भीच के अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नये सकल पिछली शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल पिछली शेष राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाएगा। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथसाथ करने की प्रवृत्ति हो-, तो निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है

2.16 उधार लागत:

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में जैसा कि वर्णित "आयकर पूर्व लाभ" से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद शामिल हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किए गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद करने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि शेष सद्भाव अथवा लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नही किया जाएगा, उसे छोड़ कर अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी शेषों के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध करने रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता

दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब यह अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य विस्तृत कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

2.18.2.1 पारिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के तहत कंपनी अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) जिसका गठन कानून पारित कर किया गया हो और कंपनी कि अन्य किसी राशि के भुगतान करने के लिए विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगी, के लिए रोजगार पश्चात लाभ एवं परिभाषित अंशदायी योजना है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्चे के रूप में माना जाता है उस अवधि के जिसके दौरान कर्मचारी सेवाएं देते हैं।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण (लाभ पर सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भरावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई ऐसा है तो। रिपोर्टिंग की तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां कंपनी के दायित्व की अवधि के लगभग होती एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापन किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया

जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	शून्य

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

जहां बही भंडार तथा मापित भंडार के मध्य विभिन्नता +/ - 5 % तक है, वहां कोयला/कोक के बही भंडार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापित भंडार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भंडार का मूल्यांकन "शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत" जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोयले को कोयला भंडार के भाग के लिए माना जाता है।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भंडार के रुप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती है

और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। समय - समय पर लेखांकन आकलन बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तेय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभाव को प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना,

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियों को परिलक्षित करना।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का

उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ -साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टाअनुबंध को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

यदि किसी परिसंपत्ति का पिछला मूल्य अथवा नकद उत्पादन इकाई अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है जो अपने उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रुप में मानती है। उपयोग की गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित

होती है। अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। कर से संबन्धित विवरण टिप्पण 38 में दर्शाये गए हैं।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुन;स्थापना व डिक्मीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निमलिखित आधार पर परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रत हेक्टर अनुमानित लागत।

2.24 **संक्षेपों का प्रयोग**

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 के अनुसार

नोट-3 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(रु.लाख में))

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	निर्माण (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेल्वे साईडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन संरचना	सर्वेक्षित परिसंपत्ति		
वहन राशि t:															
1 अप्रैल 2016 तक	-	2,371.38	-	3.61	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,380.79
योग	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(3.61)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.61)
31 मार्च 2017	-	2,371.38	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-		-	2,377.18
1 अप्रैल 2017 तक	-	2,371.38	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	-	2,371.38	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल 2016 तक	-	78.18	-	0.69	-	-	-	1.09	-	-	-	-		-	79.96
अवधि के लिए प्रभार	-	78.19	-	- 0.69	-	-		1.06	-	-	-	-	-	-	78.56
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 तक	-	156.37	-	-	-	-	-	2.15	-	-	-	-		-	158.52
1 अप्रैल 2017 तक	-	156.37	-	-	-	-	-	2.15		-	-	-	-	-	158.52
वर्ष के लिए प्रभार	-	78.19	-	-	-	-	-	1.06		-		-	-	-	79.25
हानि	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-							-
31 मार्च 2018 तक	-	234.56	-	-	-	-	-	3.21	-	-	-	-		-	237.77
															-
शुद्ध वहन राशि															-
31 मार्च 2018 तक	-	2,136.82	-	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-	-	2,139.41
1 अप्रैल 2017 तक	-	2,215.01	-	-	-	-	-	3.65	-	-	-	-	-	-	2,218.66

नोट -

1. कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिग्रहित अन्य भूमि शामिल है।

2- कोयला खान श्रम कल्याण संगठन और कोयला खान बचाव संगठन से ली गई संपत्तियों और देनदारियों, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, उनके मूल्य के निर्धारण के लंबित खातों में शामिल नहीं किया गया है।.

3- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, इन संपत्तियों पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास किया गया है जो परिसंपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लागू होता है।

4- उपर्युक्त प्रमुखों में संपत्तियों को सक्षम करना शामिल है जैसे कि। सड़कें, रेलवे सिडिंग इत्यादि (शीर्षानुसार विभाजन किया जाए)

5. चालू वित्त वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हानि जिसकी कीमत शून्य है राशि लाभ और हानि के वक्तव्य में प्रभारित है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

31 मार्च 2018 तक

नोट 4 : पूंजी डबल्यूआईपी

(रु. लाख में)

	निर्माण (जल आपूर्ति, रोड एवं पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधारिक संरचना/विकास	अन्य (टिप्पण में निर्दिष्ट किया जाए)	कुल
वहन राशि						
1 अप्रैल 2016 तक	-	-	262.95	1,054.77	-	1,317.72
योग	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	(262.95)	(617.24)	-	(880.19)
31 मार्च, 2017 तक	-	-	-	437.53	-	437.53
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	437.53	-	437.53
योग	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण/विलोपन	-	-	-	(184.86)	-	(184.86)
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	252.67	-	252.67
						-
संचित प्रावधान और हानि						-
1 अप्रैल 2016 तक	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-		-
हानि	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 तक	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	-	-	-
						-
शुद्ध वहन राशि						-
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	252.67	-	252.67
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	437.53	-	437.53

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट-5 : अन्वेषित और मूल्यांकित परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

		अन्वेषित और मूल्यांकित लागत
वहन राशि		
1 अप्रैल 2016 तक		1,131.67
योग		
विलोपन/समायोजन		-1,131.67
31 मार्च 2017 तक		-
1 अप्रैल 2017 तक		-
योग		-
विलोपन/समायोजन		-
31 मार्च 2018 तक		-
संचित प्रावधान और हानि		
1 अप्रैल 2016 तक		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
हानि		-
विलोपन/समायोजन		-
31 मार्च 2017 तक		-
1 अप्रैल 2017 तक		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
हानि		-
विलोपन/समायोजन		-
31 मार्च 2018 तक		
शुद्ध वहन राशि		
31 मार्च 2018 तक		-
1 अप्रैल 2017 तक		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

31 मार्च 2018 तक

नोट-6 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के लिए कोल ब्लॉक	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट)	कुल
वहन राशि				
1 अप्रैल 2016 तक	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2017 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	-
संचित परिशोधन तथा हानि				
1 अप्रैल 2016 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2018 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2017 तक	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 7 : निवेश

गैर चालू (रु. लाख में)

	धारित प्रतिशत (%)	वर्तमान वर्ष/ (पूर्व वर्ष) के शेयरों की संख्या	वर्तमान/(पूर्व वर्ष) के प्रति शेयर का अंकित मूल्य	तक	
				31.03.2018	31.03.2017 (पुन:वर्णित)
शेयरों में निवेश					
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों में शेयर	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-
सह - संचालित शेयरों में	-	-	-	-	-
कुल :					
कुल राशि का गैर-उद्धृत निवेश :	-	-	-	-	-
कुल राशि का उल्लेखित निवेश	-	-	-	-	-
उल्लेखित निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में हानि के कुल राशि	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट-7 (जारी)

निवेश
चालू

(रु. लाख में)

	वर्तमान वर्ष/(पूर्व वर्ष) में इकाइयों की संख्या	एनएवी (रुपये में.)	**तक**	
			31.03.2018	**31.03.2017**
व्यापार (गैर-उद्धृत)	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड निवेश	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-
कुल राशि का उद्धृत निवेश :	-	-	-	-
कुल राशि का गैर-उद्धृत निवेश	-	-	-	-
उल्लेखित निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में हानि के कुल राशि	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट-8 : ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
गैर-चालू		
संबन्धित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
चालू		
संबन्धित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
-संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान		
- संदिग्ध	-	-
कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	
वर्गीकरण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
संदिग्ध	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
गैर-चालू		
बैंक जमा	-	-
बैंक के तहत जमा		
खदान बंदी योजना	-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रों खाते से प्राप्य	-	-
अन्य जमा	-	-
कम : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
कम : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्वेषित कार्य के लिए प्राप्य		
कम : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य प्राप्य	-	-
कम : संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**-**	**-**
	-	-
चालू		
खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रों खाते से प्राप्य	-	-
चालू खाते के साथ		
अनुषंगियाँ	-	-
	-	-
उपार्जजित ब्याज पर	-	-
निवेश	-	-
बैंक जमा	-	-
अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट)	-	-
	-	-
अन्य जमा	-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
प्राप्य दावे	-	-
कम : संदिग्ध दावे के लिए भत्ते	-	-
	-	-
अन्य प्राप्य	3.01	3.01
कम : संदिग्ध दावे के लिए भत्ते	-	-
	3.01	3.01
कुल	3.01	3.01

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
(i) अग्रिम पूंजी	-	-
कम : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ii) अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति	-	-
कम :संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा	-	-
कम:संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ग) सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	-	-
कम :संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ड़) पूर्वदात व्यय	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक
नोट -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
कम : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
कम : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ग) सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम		0.04
कम : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	0.04
(इ) अग्रिम- अन्य	228.35	199.62
कम:संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	228.35	199.62
(च) जमा-अन्य	257.47	257.47
कम: प्रावधान	-	-
	257.47	257.47
(छ) सेनवेट क्रेडिट/ वैट क्रेडिट प्राप्य	-	
कम: प्रावधान	-	-
	-	-
(ज) एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
कम: प्रावधान		
	-	-
(झ) पूर्वदात व्यय	-	-
(j) प्राप्य - अन्य	-	-
कम: प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	**485.82**	**457.13**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक
नोट - 12 : वस्तुसूची

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
विकास के तहत कोयला	-	-
कम: प्रावधान	-	-
कोयले का स्टॉक (कुल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत में)	-	-
योग: ट्रांसिट-में-भंडार	-	-
कम: प्रावधान	-	-
भंडार एवं पुर्जों का कुल स्टॉक (लागत में)	-	-
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में दावाओं का स्टॉक	-	-
(घ) कार्यशाला कार्य:	-	-
कार्य प्रगति एवं निर्मित माल	-	-
कम: प्रावधान	-	-
कार्यशाला कार्यों का कुल स्टॉक	-	-
(ड़) प्रेस कार्य:		
कार्य प्रगति एवं निर्मित माल	-	-
(च) बिक्री के लिए कोयला ब्लॉक	-	-
	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 13 : व्यापार प्राप्य

(रु.लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
संदिग्ध	-	-
कमी : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
नोट:		
नियत तारीख से 6 महीने से भी कम की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
नियत तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
सांदेग्ध ऋण	-	-

1. कंपनी के अधिकारियों एवं निदेशकों से किसी भी प्रकार के व्यापार एवं अन्य प्राप्य बकाया नहीं है। किसी भी फर्म एवं कंपनी से साझेदार के रूप में किसी भी निदेशक व सदस्य से व्यापार व अन्य प्राप्य बकाया नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 14 : नकद एवं नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

के अनुसार

	31.03.2018	31.03.2017
(क) बैंक के साथ शेष		
- जमा खाते में(3 माह तक परिपक्वता)	-	-
- चालू खाते में	-	-
(क) वहन ब्याज(सीएलटीडी खाता आदि)	-	-
(ख) गैर ब्याज वहन	0.65	0.69
- नकद क्रेडिट खाते में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
(घ) हाथों पर नकद	-	-
(ड़) भारत के बाहर नकद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद एवं नकद समकक्ष	0.65	0.69
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद एवं नकद समकक्ष (कुल बैंक ओवरड्राफ्ट)	0.65	0.69
तिमाही के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंक के अलावा बैंक के साथ बकाया अधिकतम राशि।	शून्य	शून्य

नोट:

1 बैंक में नकद एवं नकद समकक्ष, तीन माह व उससे अधिक के मूल परिपक्वता, स्वीप खाता एवं जमा शर्त आदि शामिल हैं ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट- 15 : अन्य बैंक शेष

(रु.लाख में)

	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
बैंक के साथ शेष		
- जमा खाते में(3 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ)		
(क) सावधि जमा	-	-
(ख) सीएलटीडी खाता	5,584.22	5,474.71
खदान बंदी योजना	-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
अवैतनिक लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता		
कुल	**5,584.22**	**5,474.71**

कुल:

1 संचय राशि एवं प्रतिभूति के रूप में बैंक के शेष के साथ उधार, गारंटी अन्य प्रतिबद्धताओं, अन्य निर्धारित शेष दर्शायी जाएगी ।

2 नकद एवं बैंक शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध यदि कोई हो।

3 बैंक जमा 12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में लिए जाएंगे ।

4 एस्क्रो खाता विवरण

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	तक 31.03.2018	31.03.2017
प्राधिकृत		
प्रत्येक रु. 10/- के 100000000 इक्विटी शेयर	10000.00	10000.00
	10,000.00	**10,000.00**
जारी की गई , सदस्यता ली गई एवं चुकाई गई		
प्रत्येक रु. 10/- के 85100000 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से नकद में भुगतान किया गया	8510.00	8510.00
	8,510.00	**8,510.00**

1 प्रत्येक शेयरधारक के 5% शेयर के साथ कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	**आयोजित शेयर की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित मूल्य)**	**कुल शेयर का % Shares**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	59570000	70
हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12765000	15
नेवेली लिग्नाइट कोर्पोरेशन लिमिटेड	12765000	15

2 अवधि के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है या खरीदा है।

वित्तीय विवरण के लिए नोट

31 मार्च 2018 तक

नोट 17 : अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	बनाए गए अर्जन		कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व*		अधिशेष	संचित हानि	
दिनांक 01.04.2016 तक शेष	-		(52.15)			(52.15)
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-					-
अवधि से पहले त्रुटि						-
दिनांक 01.04.2016 तक पुन:वर्णित शेष	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**-**	**(52.15)**
वर्ष के दौरान योग						-
वर्ष के दौरान समायोजन			52.15			52.15
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय						-
लेखांकन नीति या अवधि से पहले त्रुटि में परिवर्तन				(52.15)		(52.15)
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व को/से हस्तांतरण						-
अन्य रिजर्व को/से हस्तांतरण						-
अन्तरिम लाभांश						-
अंतिम लाभांश						-
निगमित लाभांश कर						-
दिनांक 31.03.2017 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	(52.15)	-	(52.15)
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या अवधि की त्रुटि में परिवर्तन	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-		-	-
विनियोग						
सामान्य रिजर्व को/से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को/से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की वापस खरीदी	-	-	-	-	-	-
वापसी पर कर	-	-	-		-	-
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**

*इक्विटी विवरण में परिवर्तन का अवलोकन करें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट 18: उधार

(रु. लाख में)

के अनुसार

	31.03.2018	31.03.2017
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
बैंक से	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-
संबन्धित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर ऋण प्रतिदेय		
बैंक से	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-
संबन्धित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक
नोट- 19 :व्यापार देय

(रु. लाख में)

के अनुसार

	31.03.2018	31.03.2017
चालू		
सूक्ष्म, लघू एवं मद्यम उद्यम के लिए व्यापार देय	-	-
के लिए अन्य व्यापार देय		
भंडार एवं पुर्जे	-	-
बिजली एवं ईंधन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम को देय एवं ब्याज यदि कोई

अवधि	**31-Mar-18**	**31-Mar-17**
15 दिनों के भीतर बकाया राशि	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया राशि	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया राशि	-	-
कुल एमएसएमई क्रेडिटर	**-**	**-**

एमएसएमई क्रेडिटर में एमएसएमई क्रेडिटर को अवैतनिक ब्याज जिसकी कीमत .....शून्य .....(दिनांक 31.03.18 तक रु. शून्य)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट- 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
गैर चालू		
प्रतिभूति	-	-
बयाना	-	-
अन्य	-	-
	-	
चालू		
अनुषंगियों से अधिशेष निधि के साथ चालू खाता	-	-
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	5.27	130.30
दीर्घावधि ऋण के वर्तमान परिपक्वता		
अवैतनिक लाभांश	-	-
प्रतिभूति	0.70	0.70
बयाना	1.01	1.01
अन्य	0.88	0.87
कुल	**7.86**	**132.88**

-

नोट: अवैतनिक लाभांश में घोषित अन्तरिम लाभांश जिसमें 30 दिनों तक चूक न हुई हो ताकि उसे अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण किया जा सके ।

अनुषंगियों के साथ वर्तमान खाता
धारक कंपनी के साथ वर्तमान शेष खाता का नियमित अंतराल पर समाधान किया जाता है, दिनांक 31.03.2018 को भी इसका समाधान किया गया है। संधि के कारण उत्पन्न समायोजन निरंतर की जाती है। हालांकि, अपूर्ण राजस्व व्यय के लिए समायोजन किया जाएगा।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट - 21 : प्रावधान

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	**31.03.2017**
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रैचुइटी	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
स्थल पुनर्स्थापना/ खदान बंदी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रैचुइटी	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
सबंधित वेतन प्रदर्शित	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
एनसीडबल्यूए-X प्रावधान	-	0.72
खदान बंदी		
कोयले के समापन स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	**0.72**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट- 22 :अन्य गैर चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

के अनुसार

	31.03.2018	**31.03.2017**
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि	-	-
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च 2018 तक

नोट- 23 : अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
पूंजीगत व्यय		
वेतन एवं भत्ता के लिए देयताएँ	-	-
सांविधिक देय:		
माल एवं सेवा कर	-	-
जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
विक्रय कर/वैट	-	-
भविष्य निधि एवं अन्य	-	-
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
कोयले पर रॉयल्टी एवं उपकर	-	-
नौभारण उत्पाद शुल्क	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	-	-
जिला खनिज संस्थान	-	-
अन्य सांविधिक कर	-	-
स्रोत से संगृहीत/घटाई गई आय कर	0.07	0.28
	0.07	0.28
उपभोक्ता एवं अन्य से अग्रिम	-	-
उपकर समीकरण खाता	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	**0.07**	**0.28**

*शिक्षा निवेशक एवं सुरक्षा निधि को भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

नोट-24: 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31मार्च 2018			31मार्च 2017		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
अनुषंगी में अधिमानी शेयर						
म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-
ऋण						
जमा एवं प्राप्य	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य						
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	0.65	-	-	0.69
अन्य बैंक शेष			5584.22			5474.71
	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	1.71	-	-	1.71
अन्य देयताएं	-	-	6.15			132.18
	-	-	-	-	-	-

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए और अन्य कारणों के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अनुबंध की आवश्यकता होती है। प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना कंपनी के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, जो ठेकेदार से अनुबंध के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर इसे मापा जाता है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	**31 मार्च 2018**			**31 मार्च 2017**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड						
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट है -

(लाख रु. में)

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक **31** मार्च, 201**8** की समाप्ति पर किया गया।	**31 मार्च 2018**			**31 मार्च 2017**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
उधार राशियाँ	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	-	-	-

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने कीमत उद्धृत की है और समाप्त एनएवी पर मूल्यांकित है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

3.असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है। जिसमें

- उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल है।
- शेष वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य छूट वाले नकद प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

vi) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
प्रतिभूति एवं बयाना	-	-	-	-

➢ उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

➢ यदि सामग्री नहीं हो तो अमूर्त लागत पर जिम्मेदार अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर नहीं लिया जाता है।

➢ ऋण, सुरक्षा जमा और वरीयता शेयरों में निवेश के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 निष्पक्ष मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

कंपनी बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश),बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समकक्ष**,** परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध- एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

उपरोक्तानुसार एफ़एसए फॉर्म के संबंध में डबल्यूसीएल कोयला आपूर्ति अनुबंध के"कोस्ट प्लस" के अंतर्गत कोयला की आपूर्ति करती है।

ई-नीलामी योजना - जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो द्रीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय व्यवस्था -

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक समूह की निम्नलिखित अव्यवस्थित उधार सुविधाओं को अपनाया है -

	31.03.2018	31.03.2017
एक साल के भीतर समाप्त (बैंक ओवरड्राफ्ट एवं अन्य सुविधाएं)	-	-
एक साल के बाद समाप्त (बैंक ऋण)	-	-

i) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.18	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां						
अन्य वित्तीय देयदताएं						
कुल						

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता 31.03.2018	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह तक**	**6 माह से एक साल तक**	**एक साल से 2 साल तक**	**2 से 5 साल तक**	**कुल**
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां						
अन्य वित्तीय देयताएं						
कुल						

ख) बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम :

समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। कंपनी आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

ख. **नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम -**

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।
कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण में निधि शून्य है।

4. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

(₹ लाख में)

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया			
		31.03.2018	**31.03.2017**
1	**केंद्रीय सरकार** क) रॉयल्टी (एनएमईटी) **ख**) केंद्रीय उत्पाद शुल्क **ग**) स्वच्छ ऊर्जा उपकर **घ**) विलंब शुल्क ङ) अनुलाभ कर च) रेलवे बहाली शुल्क छ) सेवा कर ज) आय कर **I** अन्य कोई मद (मद का विवरण)		
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी** क) बिक्री कर ख) स्टैम्प शुल्क ग) रॉयल्टी घ) जल कर ङ) प्रवेश कर/ओईटी च) भूमि विवाद छ) सरफेस रेंट ज) अन्य कोई मद (मद का विवरण)		
3	**केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम** क) मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा ख) कोई मद (मद का विवरण)		
4	**अन्य**		

	क) पुनर्वास एवं पुन:स्थापना लागत **ख) मुआवजा** **ग) कोयला परिवहन** **घ) मध्यस्थता और सिविल मुकदमा** **ङ) कंपनी के खिलाफ** **च) अन्य कोई मद (मद का विवरण)**		
	कुल		

ख.प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि

पूंजी राशि/ प्रदान किए गए: शून्य

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : शून्य

अन्य : शून्य

ग. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.18 तक बकाया शाख पत्र शून्य है एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत शून्य (31-03-2017 तक शून्य) है।

5. अन्य जानकारी

क 31-03-2018 को समाप्त तिमाही के दौरान एनईसी द्वारा रेत भरने एवं सुरक्षा कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण विकास)अधिनियम, 1974 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय से रु. शून्य प्राप्त किये गए हैं।

सीसीडीए अनुदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से पूंजी अनुदान के रूप में रु. शून्य प्राप्त हुए हैं जो सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के काम के सहायता के लिए प्राप्त किया गया है और नोट -22 के तहत अस्वीकृत आय के रूप में उसका खुलासा किया गया है।

ख) प्रावधान

दिनांक 31.03.18 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में)

प्रावधान	**1.04.2017** के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरना बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अनवाईंडिंग	**31.03.2018** के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संचित अवमूल्यन संपत्तियों की हानि	158.52	79.25			237.77
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रुप में					

हानि					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान हानि					
नोट 6:- विक्रय के लिए आयोजित गैर चालू परिसंपत्तियाँ प्रावधान: हानि					
नोट 8: ऋण : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : प्राप्य दावे: अन्य प्राप्य :					
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां: संदिग्ध अग्रिम खोजपूर्ण ड्रीलिंग कार्य उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा अन्य जमा					
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान अन्य जमा : कर्मचारियों को अग्रिम					
नोट 12: सूची: कोयला भंडार : भंडारों एवं पूर्जों का भंडार डबल्यूआईपी एवं तैयार सामान					
नोट 13:व्यापार प्राप्य : ऋण हेतु प्रावधान एवं नैतिक					
नोट 20: चालू एवं गैर चालू प्रावधान पीआरपी : एनसीडबल्यूए -X: खदान बंद : अन्य :	0.48		(0.48)		

ग) रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व		

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
अन्य		

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति		

घ) **समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन**

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

कंपनी ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल करते हैं तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है

कंपनी का नाम	कंपनी के साथ संबंध	वर्ष के दौरान लेनदेन राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	

ङ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

च. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

छ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ज. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

झ. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम**,** 2015 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9(सी) के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के संबंध में खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी**.**एस.आर. 632.ई. 14.08.2015 का अनुसरण करे। वित्तीय वर्ष 2015-16 के रॉयल्टी पर कंपनी ने उपभोक्ताओं से 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रह किया है।

ञ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2018** को समाप्त वर्ष के लिए	**31-03-2017** को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल		
(ii) पूंजीगत माल		
(iii) भंडार,पुर्जा एवं उपकरण		

ट. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	**31-03-2017** को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय		
प्रशिक्षण व्यय		
परामर्श शुल्क		
ब्याज		
भंडार एवं पुर्जे		
पूंजीगत माल		
अन्य		

ठ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विविरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए**	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय		
प्रशिक्षण व्यय		
परामर्श शुल्क		

ड. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत (₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**		**31-03-2017 को समाप्त वर्ष**	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री				
(ii) स्वदेशी				

ढ. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(₹ लाख में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 **को समाप्त वर्ष**	
	परिमाण	**मूल्य**	**परिमाण**	**मूल्य**
प्रारंभिक शेयर				
उत्पाद				
बिक्री				
स्व खपत				
बट्टे खाते में डालना				
अंतिम स्टॉक				

ण. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है ।

दिनांक 31.03.2018 को ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा दिये गए निगमित गारंटी

(रु लाख में)

कंपनी का नाम	31.03.2018 को	31.03.2018 को

त. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया। लेखा नीति में परिवर्तन के फलस्वरुप तथा अन्य बदलाव के अंतर्गत शुद्ध लाभ के साथ भारतीय लेखांकन मानक निम्नानुसार वर्णित किये गए हैं :

अन्य

क) चालू वर्ष के सभी व्यय सीधे कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची के अनुसार प्रगति (नोट -4) में पूंजीगत कार्य पर लगाए गए हैं।

ख) 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयले के ब्लॉक को आवंटन के प्रक्रिया का हवाला देते हुए मनमाने ढंग से आवंटन को अवैध मानकर रद्द कर दिया। तालाबीरा **II** और **III** कोयला ब्लॉक, जो 204 कोयले के ब्लॉक का हिस्सा है, के आवंटन को भी रद्द कर दिया है।

ग) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार, सरकार ने 17 फरवरी 2016 को अपने पत्र के माध्यम से संवाद के रूप में इस कोयला ब्लॉक को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को आवंटित किया है। कंपनी नामांकित प्राधिकरण, एमओसी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति और अमूर्त संपत्तियों के लिए खर्च की गई राशि के लिए नए आवंटन से मुआवजा पाने का हकदार है। मुआवजा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत मनोनीत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा।

घ) पत्र संख्या 110/13/2015 /एनए, दिनांक 12.09.2016 के अनुसार पुन: एक बार नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को खान आधारित संरंचना के लागत के रूप में मुआवजा हस्तांतरित किया है। इसमें तालाबीरा - **II** और **III** कोयला खान के लिए मुआवजे की राशि रु. 15**,88,94,332** शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम पर राशि हस्तांतरित कर दी है।

ङ) पत्र संख्या 110/13/2015 /एनए (भाग-**ii) ,** दिनांक 01.12..2016 के अनुसार पुन एक बार नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को खान आधारित संरंचना के लागत के रूप में मुआवजा हस्तांतरित किया है। इसमें तालाबीरा - **II** और **III** कोयला

खान के लिए मुआवजे की राशि रु. 2**,66,56,000 (**2 करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार) शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम पर राशि हस्तांतरित कर दी है।

च**)** भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुन: वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

छ**)** 31 मार्च, 2018 के अनुसार नोट 3 से 23 तुलनपत्र का एक हिस्सा है । नोट-1 निगमित सूचना को यह दर्शाता है, नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-24वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट को प्रस्तुत करता है।

ह./	ह./	ह./
एस. के. बेहेरा	**एन. राजशेखर**	**एस. एम. झा**
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
ह./	ह./	
जे. पी. सिंह	**ओ. पी. सिंह**	
निदेशक	**अध्यक्ष**	
डीआईएन: 06620453	**डीआईएन: 07627471**	

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार तथा
उनके तरफ से
मेसर्स एसएबीडी एवं सहयोगियाँ
सनदी लेखाकर
ह./
(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 505314
फर्म पंजीकरण संख्या -020830एन

स्थान**:** संबलपुर
दिनांक **: 27.04.2018**

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए

(रु. लाख में)

		दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के
संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		-	-
समायोजन:			
दीर्घावधि उधार पर विनिमय अस्थिरता हानि		-	-
तय परिसंपत्ति की हानि/मूल्यह्रास		79.25	78.56
बैंक जमा से ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबन्धित वित्त लागत		-	-
निवेश से ब्याज/ लाभांश		-	-
तय परिसंपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि		-	-
अवधि के दौरान बनाए गए व खारिज किए गए प्रावधान		-	-
अवधि के दौरान वापस लिए गए देयताएँ			
अग्रिम स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
चालू/ गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं से पहले प्राप्त संचालित लाभ		**79.25**	**78.56**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्य		-	-
वस्तुसूची		-	-
लघु/ दीर्घावधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियां		(28.69)	69.33
लघु/ दीर्घावधि देयताएँ एवं प्रावधान		(125.95)	14.54
संचालन से प्राप्त नकद		**(75.39)**	**162.42**
देय आय कर/ प्रतिदेय		-	-
संचालित गतिविधि से शुद्ध नकद प्रवाह	**(क)**	**(75.39)**	**162.42**
निवेशित गतिविधि से नकद प्रवाह			
तय परिसंपत्तियों की खरीद		184.86	2,015.47
बैंक जमा में निवेश		-	-
निवेश में परिवर्तन		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेशित गतिविधियों से संबन्धित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल निधि निवेश में निवेश		-	-
		-	-
निवेशित गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(ख)**	**184.86**	**2,015.47**

नकद प्रवाह विवरण जारी.....

नकद प्रवाह विवरण(अप्रत्यक्ष पद्धति)
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए

(रु. लाख में)

		दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
अल्पावधि उधार का पुन:भुगतान/ वृद्धि		-	-
उधार का पुन: भुगतान		-	-
अल्पावधि उधार		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबन्धित ब्याज एवं वित्त लागत		-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्स्थापना निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश एवं लाभांश कर		-	-
पूंजीगत इक्विटी शेयर से लाभ		-	-
वित्तीय गतिविधियों में व्यवहृत शुद्ध नकद	**(ग)**	**-**	**-**
नकद एवं बैंक शेष में शुद्ध बढ़ोत्तरी /कटौती (क +ख + ग)		**109.47**	**2,177.89**
नकद एवं बैंक शेष (प्रारम्भिक शेष)		**5,475.40**	**3,297.51**
नकद एवं बैंक शेष (अंतिम शेष)		**5,584.87**	**5,475.40**

(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

नोट :
1.उपर्युक्त विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए गत वर्ष के सभी आकांडों का पुन: वर्गीकरण किया गया है।
3. 2016-17 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए दिनांक 31.03.-2017 तक गत वर्ष के आंकड़ों की लेखा परीक्षा की गई।

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एन. राजशेखर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. एम. झा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जे. पी. सिंह
निदेशक
डीआईएन : 06620453

ह/-
ओ. पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन : 07627471

कथित तिथि पर हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एवं सहयोगी के लिए एवं की तरफ
चार्टर एकाउंटेंट

दिनांक : 27.04.2018
स्थान: संबलपुर

ह/-
(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन